उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 01.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

“यातायात माह – नवम्बर 2025” का महोबा में हुआ शुभारंभ...

“सुरक्षित यात्रा – जीवन की गारंटी” के संदेश के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह ने किया यातायात जागरूकता अभियान का आगाज़...

आज दिनांक- 01.11.2025 को जनपद महोबा में “यातायात माह – नवम्बर 2025” का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन, महोबा में फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं पत्रकारों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

अपने उद्घाटन संबोधन में पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि- “जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या चिंता का विषय है। इसमें कमी लाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। यदि हम सभी यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी जागरूक करें, तो दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है।”

उन्होंने उपस्थित समाजसेवियों, व्यापारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि वे स्वयं नियमों का पालन करें तथा आमजन को भी इसके प्रति जागरूक करें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि *यातायात माह* के दौरान जनपद के विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों में नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, निबंध लेखन प्रतियोगिता सहित अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह ने कहा कि “यातायात अनुशासन केवल नियम नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का संकल्प है। यदि हर व्यक्ति थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाए, तो हम अनमोल जिंदगियाँ बचा सकते हैं।”

इस अवसर पर जनप्रतिनिधि श्री राहुल अग्रवाल, एआरटीओ श्री दयाशंकर, समाजसेवी श्री शिवकुमार गोस्वामी, श्री शरद दाऊ तिवारी, श्री रियाज अहमद, श्री रामजी गुप्ता, एवं शिक्षिकाएँ श्रीमती सरगम खरे व श्रीमती ज्योति सिंह द्वारा भी यातायात सुरक्षा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए गए।

कार्यक्रम के पश्चात पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता रैली को रवाना किया गया, जो शहर के प्रमुख तिराहों व चौराहों से होकर गुजरी। रैली के दौरान पंपलेट एवं बैनरों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस क्रम में लगभग 25 दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट की अनिवार्यता के बारे में बताया गया तथा उन्हें निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात श्री तेज प्रकाश सिंह, एआरटीओ श्री दयाशंकर, आर.आई. श्री शिवकुमार, प्रभारी यातायात उ.नि. श्री सुनील कुमार सिंह, सम्मानित जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, शिक्षकगण, स्कूली छात्र-छात्राएँ एवं पत्रकार बंधु सहित अन्य सम्बन्धित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 01.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में 'NCL जागरूकता अभियान 2.0' के तहत नये आपराधिक कानूनों पर जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित...

– "दंड से न्याय की ओर" — परिवर्तन की दिशा में पुलिस का दायित्वपूर्ण कदम

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि- "नये आपराधिक कानून केवल विधिक प्रावधानों का संकलन नहीं, बल्कि नागरिकों को न्याय, सम्मान एवं सुरक्षा प्रदान करने की एक आधुनिक दृष्टि का प्रतीक हैं। महोबा पुलिस द्वारा 'NCL जागरूकता अभियान 2.0' के माध्यम से इस परिवर्तन को समाज तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य और संकल्प दोनों है।"

- भारत सरकार द्वारा 01 जुलाई 2024 से लागू किए गए नये आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita- BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam - BSA) के संबंध में नागरिकों एवं पुलिस अधिकारियों को अद्यतन जानकारी प्रदान करने तथा इन कानूनों के निहितार्थों से अवगत कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में दिनांक 30 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2025 तक जनपद महोबा में 03 दिवसीय "NCL जागरूकता अभियान 2.0" संचालित किया जा रहा है।

- इस अभियान का उद्देश्य पारंपरिक "दंड प्रधान" दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए "न्याय केंद्रित" आपराधिक न्याय प्रणाली की अवधारणा को जन-जन तक पहुँचाना है, जिससे नागरिकों को नये प्रावधानों के प्रति सजग, सशक्त एवं विधिसम्मत जानकारी प्राप्त हो सके।

- अभियान के तीसरे दिन, आज दिनांक 01 नवम्बर 2025 को पुलिस लाइन महोबा में पुलिस अधीक्षक श्री प्रबल प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन एवं नये आपराधिक कानूनों के विधि विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किए गए।

- प्रशिक्षण कार्यक्रम में कानून के नवीन प्रावधानों की गहन जानकारी प्रोजेक्टर प्रस्तुति एवं केस स्टडी के माध्यम से प्रदान की गई, जिसमें विशेष रूप से निम्न विषयों पर प्रकाश डाला गया जिसमें जीरो एफआईआर (Zero FIR) एवं ई-एफआईआर (E-FIR) की विधिक प्रक्रिया, समयबद्ध न्याय प्रणाली एवं त्वरित विवेचना के प्रावधान, महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित प्रावधानों में किए गए सुधार, अपराध जांच में तकनीक एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों की भूमिका, पीड़ित केन्द्रित न्याय प्रणाली (Victim-Centric Justice System) की अवधारणा, जन-जागरूकता की दिशा में सशक्त कदम...।

- इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह सहित जनपद के सभी क्षेत्राधिकारीगण, थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण सम्मिलित हुए।

- अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त थानों, चौकियों एवं पुलिस इकाइयों द्वारा पोस्टर, पम्पलेट, जनसंवाद, विद्यालयों में परिचर्चा एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं।

- इस दौरान नागरिकों, विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं एवं सामाजिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है ताकि कानूनों के नये प्रावधानों की जन-जन तक सहज समझ विकसित की जा सके।